ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं0 01, सेक्टर नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांकः ग्रेनो/बिल्डर्स/का0आ0/2018/1384
दिनांक : 17 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटियों से अतिदेयता की वसूली के दृष्टिगत अतिदेयता के रि–शिडयूलमेंट हेतु प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 के मद संख्या–112/6 में निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है–

क) समस्त परिसम्पत्ति अनुभागों में पुनर्निर्धारण (Re-schedulement) की सुविधा 31 अगस्त, 2018 अथवा यदि शासन से पी.एस.पी. पॉलिसी प्राप्त होती है तो उसमें उल्लेखित तिथि तक, जो पहले हो, के लिये लागू रहेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं आवंटियों को अनुमन्य करायी जायेगी, जिन्होंने आवंटित परिसम्पत्ति का पट्टा प्रलेख निष्पादित करा लिया गया है ।

ख) अतिदेयता की पुनर्निर्धारण की सुविधा के अन्तर्गत मूल किश्तों के पेमेंट प्लान की अतिदेयता एवं पूर्व में पुनर्निर्धारित (Re-schedulement) सभी भुगतान तालिका की अतिदेयता तथा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की अतिदेयता को जोड़ते हुऐ प्रारम्भ में निम्नानुसार राशि पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगीः–

i) 500 करोड़ से कम की अतिदेतया पर 15 प्रतिशत धनराशि आदेश निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत जमा कराने पर अवशेष धनराशि पुनर्निर्धारित की जायेगी

ii) 500 करोड से अधिक की अतिदेयता पर 500 करोड़ तक की धनराशि पर 15 प्रतिशत एवं 500 करोड़ से अधिक की धनराशि पर 10 प्रतिशत राशि मिला कर, जो धनराशि बनेगी उसे पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगी । (उदाहरणतः यदि किसी आवंटन में 600 करोड की अतिदेयता है तो 500 करोड़ की 15 प्रतिशत रू0 75 करोड तथा अवशेष 100 करोड़ की 10 प्रतिशत राशि रू0 10 करोड़ कुल रू0 85 करोड़ धनराशि पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जमा करानी होगी)

अवशेष अतिदेय धनराशि तथा भविष्य की सभी प्रकार की किश्तों को कैपीटलाइज (Capitalized) करते हुऐ कैपीटलाइज्ड धनराशि पर प्राधिकरण में वर्तमान में अनुमन्य ब्याज दर (11 प्रतिशत वार्षिक छमाही चक्रबृद्धि ब्याज) के आधार पर एक ही पेमेंट प्लान जारी किया जायेगा । डिफॉल्ट करने की दशा में 3 प्रतिशत अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज भी आवंटी को देना होगा ।

ग) अतिदेय के पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान किये जाने में प्रत्येक आवंटी/पटटा धारक से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जायेगा कि यदि उनके द्वारा पुनर्निर्धारण किश्तों तथा आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटन पत्र/पटटा प्रलेख/उप पटटा प्रलेख में उल्लिखित किश्तों का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो 3 किश्तों का डिफॉल्ट होने की दशा में प्राधिकरण बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर सकता है ।

घ) यदि किसी प्रकरण में निर्धारित किश्तें जमा करने की अंतिम समय सीमा समाप्त हो चुकी है और आवंटी द्वारा भूखण्ड/प्रोजेक्ट की पूरी धनराशि जमा नहीं की गई है । उन प्रकरणों में आदेश निर्गमन की तिथि से अधिकतम 2 वर्ष की समय–सीमा प्रदान की जायेगी । ऐसे प्रकरणों में केस–टू–केस यथोचित निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अधिकृत होंगे । यदि किसी आवंटी को किसी भूखण्ड/प्रोजेक्ट में अतिरिक्त समय सीमा प्रदान की जाती है तो नियमानुसार (14 प्रतिशत + 3 प्रतिशत दण्डात्मक = 17 प्रतिशत) दण्डात्मक ब्याज सहित किश्तों का पुनर्निर्धारण मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा ।

Balu

ड़) ऐसे प्रकरणों में आवंटी द्वारा प्रत्यावेदन सम्बन्धित परिसम्पत्ति अनुभाग में प्रस्तुत किया जायेगा। परिसम्पत्ति अनुभाग द्वारा पत्रावली में उक्त पत्र व्यवहारित करते हुऐ पत्रावली वित्त विभाग में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी । वित्त विभाग नियमानुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुऐ मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा । यह आदेश पूर्व में पुनर्निर्धारण हेतु जारी समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुऐ लागू होगा।

च) जिन आवंटियों को पी0एस0पी0 पॉलिसी के अंतर्गत रि–शिडयूलमेंट की सुविधा का लाभ दिया जा चुका है और वे पुनः डिफॉल्ट कर चुके हैं, उनको भी वर्तमान तक की अतिदेयता का रि–शिडयूलमेंट करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। परन्तु यह सुविधा उन्हीं आवंटियों को प्रदान की जायेगी, जिनके द्वारा वर्तमान में 15 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करायी जायेगी। यदि किसी आवंटी ने पी0एस0पी0 पालिसी के अंतर्गत पूर्व में 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक भुगतान किया गया है तो उसे कैपिटलाईज करने के उपरान्त 15 प्रतिशत धनराशि वर्तमान नीति के अनुसार अलग से जमा करानी होगी। पूर्व में आंशिक रूप से जमा धनराशि का समायोजन नहीं किया जायेगा।

छ) आवंटी यदि 15 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि 30 दिनों के अंदर जमा नहीं करा पाते हैं तो उन्हें निर्धारित दण्ड ब्याज के साथ 30 दिनों का अतिरिक्त समय विस्तरण प्रदान किया जा सकता है। तदपश्चात भी देय धनराशि आवंटी द्वारा जमा नहीं की जाती है तो उक्त के अतिरिक्त 30 दिनों का समय विस्तरण केस–टु–केस के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त प्रदान किया जायेगा।

ज) जिन आवंटियों को पूर्व में पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान की गई थी, परन्तु जारी पेमेंट प्लान के अनुसार उन्होंने न्यूनतम 03 किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है तो उन्हें भविष्य में पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. विशेष कार्याधिकारी (वी) को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. वरिष्ठ कार्यपालक/प्रबन्धक (बिल्डर्स) को अनुपालनार्थ ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।

Balkr

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी